

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 902 / 2024 दिनांक 07.03.2024

श्रीमती नुसरत बानो (RJ00363), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को दिनांक 02.02.2024 से 06.02.2024 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती बानो की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
06.03.2024

कमांक:-स्था.बी.2(4)/69/2000/2013

दिनांक 07.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को उनके पत्रांक 20 दिनांक 07.02.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नुसरत बानो (RJ00363), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।

सहायक रजिस्ट्रार
07/3/2024